सत्यमेव जयते

राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद
संख्या–94 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री जफर इमाम, काजी बेगम कॉलोनी, नवाब बहादुर रोड, पटना–800008

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.02.2023	श्री जफर इमाम, काजी बेगम कॉलोनी, नवाब बहादुर रोड, पटना–800008 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–30.01.2023 इस कार्यालय में दिनांक–02.02.2023 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का तीन पोस्टल ऑर्डर संख्या–52F 779687 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री जफर इमाम ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–24.12.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना/निर्णय से असंतुष्ट होने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–24.12.2022 की छाया प्रति संलग्न किया है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–24.12.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–03.03.2023 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 15/2/2023 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
03.03.2023	दिनांक—15.02.2023 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। लोक सूचना पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री जफर इमाम, काजी बेगम कॉलोनी, नवाब बहादुर रोड, पटना—800008 से प्राप्त प्रपत्र 'क' दिनांक—24.12.2022, राज्यपाल सचिवालय, पटना में दिनांक—03.01.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रपत्र 'क' दिनांक—24.12.2022 के आलोक में लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय द्वारा अपने पत्रांक—08 दिनांक—16.01.2023 के माध्यम से आवेदक को अपना निर्णय संसूचित किया गया है। अपीलार्थी श्री जफर इमाम ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह अपील सूचना/निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण दायर किया था, परंतु असंतुष्ट होने का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया है। अतः प्रपत्र 'क' दिनांक—24.12.2022 तथा लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अवलोकन के उपरांत इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। सभी संबंधित को सूचित करें। 3/3/2023 विशेष कार्य पदाधिकारी —सह— प्रथम अपीलीय प्राधिकार	